न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2012

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक प्रर्वतन निरीक्षक अजमेर। .....*प्रार्थी*

बनाम

1.मै0 अमरदीप गैस एजेन्सी गहलोतो की डूंगरी, घोलाभाटा, अजमेर
2.श्री रोहित कुमार, अनुज्ञाधारी, मैसर्स अमरदीप गैस एजेन्सी, अजमेर
3.श्री मनीष सोनी पुत्र श्री सुरजप्रकाश वर्मा निवासी भजनगंज, अजमेर। ...*अप्रार्थीगण*

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :. 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 28.12.2016

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2012 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में प्रार्थी द्वारा जांच किये जाने पर प्रर्वतपुरा बाईपास चौराहे के पास, नसीराबाद रोड पर मैसर्स अमरदीप गैस एजेन्सी द्वारा रिहायशी एवं सघन यातायात क्षैत्र में कैम्प लगाकर सिलेण्डरों की आपूर्ति किया जाना पाया गया। कैम्प का संचालन अमरदीप गैस एजेन्सी के कार्मिक मनीष सोनी द्वारा किया जाना पाया गया। वक्त जांच कैम्प स्थल पर कुल 23 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर भारत गैस के पाये गये। जिनमें से 19 घरेलु एल.पी.जी. सिलेण्डर गैस के भरे हुए थे तथा 4 सिलेण्डर खाली पाये गये। खाली सिलेण्डर गैस आपूर्ति किये जाने पर उपभोक्ताओं से प्राप्त होना पाया गया। अजमेर जिले की सभी गैस एजेन्सियों को जन सुरक्षा के मध्यनजर मुख्य मार्ग पर जमीन पर भरे हुए सिलेण्डरों का भण्डारण नहीं करने हेतु ताकीद की गई थी। इसके बावजूद एजेन्सी द्वारा मुख्य मार्ग पर जहां भारी आवागमन है, पूर्णतया रिहायशी इलाका हैं पर 19 गैस सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किये जाने के कारण पडे हुए सभी सिलेण्डरों को विवरण फर्द मौका एवं जब्ती में कर इन्हें राजहित में कब्जेराज लिया जाकर मै0 ख्वाजा गैस एजेन्सी, डीलर बी.पी..सी के कार्मिक श्री राधेश्याम बोहरा पुत्र श्री चोथूराम बोहरा को सुपुर्दगी में दिये गये। एजेन्सी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलिय उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंतण) आदेश–1990 के खण्ड 19 जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 9 व 11 की अवहेलना है। अतः कब्जेराज लिये गये उक्त 19 सिलेण्डरों को राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री दातारसिंह उपस्थित आये, तथा अप्रार्थी सं0 3 स्वयं उपस्थित आये अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। दौराने सुनवाई अप्रार्थीगण या उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थित नहीं आयें। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 12.01.2012 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में प्रार्थी द्वारा गैस वितरण व्यवस्था की जांच दौरान प्रर्वतपुरा बाईपास चौराहे के पास, नसीराबाद रोड पर

28/12/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी मैसर्स अमरदीप गैस एजेन्सी द्वारा रिहायशी एवं सघन यातायात क्षैत्र में कैम्प लगाकर सिलेण्डरों की आपूर्ति किया जाना पाया गया। कैम्प का संचालन अप्रार्थी सं0 03 अमरदीप गैस एजेन्सी के कार्मिक मनीष सोनी द्वारा किया जाना पाया गया। अजमेर जिले की सभी गैस एजेन्सियों को जन सुरक्षा के मध्यनजर मुख्य मार्ग पर जमीन पर भरे हुए सिलेण्डरों का भण्डारण नहीं किये जाने हेतु ताकिद किये जाने के बावजूद एजेन्सी द्वारा मुख्य मार्ग पर जहां भारी आवागमन है, पूर्णतया रिहायशी इलाका में जमीन पर 19 गैस सिलेण्डर भरे हुए भण्डारित किये जाने के कारण पडे हुए सभी सिलेण्डरों को विवरण फर्द मौका एवं जब्ती में कर इन्हें राजहित में कब्जेराज लिया जाकर मै0 ख्वाजा गैस एजेन्सी, डीलर बी.पी..सी के कार्मिक श्री राधेश्याम बोहरा पुत्र श्री चोथूराम बोहरा को सुपुर्दगी में दिये गये। एजेन्सी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलिय उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंतण) आदेश–1990 के खण्ड 19 जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 9 व 11 की अवहेलना है। अतः कब्जेराज लिये गये उक्त 19 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी सं01 द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया है कि माखुपुरा बाईपास क्षैत्र में मेरे वाहन संख्या आर.जे. 01–जीए 7518 द्वारा गैस एजेन्सी पर प्राप्त बुकिंग के उपभोक्ताओं को दिनांक 12.1.2012 को गैस आपूर्ति की जा रही थी किन्तु अचानक वाहन की डीजल पाईप फटने के कारण वाहन में से डीजल लीक होने लगा तद्उपरान्त ड्राईवर ने अपनी सुझ बुझ से गाडी में भरे हुए सिलेण्डर को एक होटल के बाहर उतार कर वाहन की डीजल पाईप बदलवाने हेतु मिस्त्री के पास चला गया। डीजल एवं गैस दोनो ही ज्वलनशील होने के कारण संभावित हादशे के मध्यनजर ड्राईवर द्वारा सिलेण्डर जमीन पर उतारे गये थे। जानबुझ कर आदेशो का उल्लघंन नहीं किया गया हम सम्बन्धित सभी विभागों के आदेशों की पालना के तहत ही कार्य कर रहे है और आगे भी करते रहेंगे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा रिहायशी एवं सघन यातायात क्षैत्र में कैम्प लगाकर सिलेण्डरों की आपूर्ति किया जाना पाया गया। एजेन्सी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलिय उत्पाद (अनुज्ञा एवं नियंतण) आदेश–1990 के खण्ड 19 जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 9 व 11 की अवहेलना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये उक्त 19 घरेलू सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/12/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

न्यायालय जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner